

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 110

दिनांक:- 07.12.17

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

**विषय :-** सी0सी0एल0 की कोनार वाशरी परियोजना हेतु 68.40 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

**प्रसंग :-** वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 5455 दिनांक 01.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 172 दिनांक 23.01.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा की गयी पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

Sl. No.	Query raised by State Govt.	Comments
(क)	Details of alternatives examination संबंधी प्रतिवेदन।	The user agency submitted that there is no alternative site within the vicinity of 15km to establish the washery.
(ख)	प्रस्तावित परियोजना के Lease का Status.	The NPV for the entire lease area has to be demanded as per letter no. F.No. 11-85/2016FC dated 31 <sup>st</sup> March of MoEF However, the land schedule for the lease area has not been submitted, so the demand for NPV could not be raised.
(ग)	प्रस्ताव के पार्ट-II की कंडिका-4 (ii) में वृक्षों के गणना सूची में Nil प्रतिवेदन है, जबकि प्रस्तावित वनभूमि पर 18137 वृक्षों का अवस्थित होने की सूचना दी गई है। तदनुरूप पार्ट-II में Online सुधार कर संशोधित पार्ट-II की प्रति।	The tree enumeration list has been uploaded and the hard copy of the same has been forwarded earlier.
(घ)	प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम स्तर से duly authenticated land schedule.	The District Collector in the process of settlement of rights for 68.40 ha. which includes 2.5 ha. of GM (JJ) has duly settled the rights against the diversion of GM (JJ) for the project.



(ड)	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के अंतर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	The FRA documents showing settlement of rights for 7.50 ha. is annexed.
(च)	प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मतव्य।	Comment of chief Wildlife Warden, Jharkhand is annexed.
(छ)	नोडल पदाधिकारी के पत्र की कंडिका-12 में उल्लेख है कि जंगल-झाड़ भूमि का उपायुक्त, बोकारो द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है परन्तु प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी से संबंधित उपायुक्त, बोकारो द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है। प्रस्ताव में सन्निहित गैरमजरूआ जंगल-झाड़ भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	A separate NOC for 2.5 ha. GM (JJ) has not been issued by the Deputy Commissioner, Bokaro However, the same has been acknowledge by him against the diversion of 2.5 ha. GM (JJ) while settling the rights under FRA for the above mentioned GM (JJ).

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की ~~प्रति~~ प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .....

दिनांक .....

प्रतिलिपि:— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को प्रस्ताव की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 110

दिनांक 07.2.17

प्रतिलिपि:— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।